न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, जनपद—मेरठ (उ०प्र०)
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रशान्त मौर्य, उ०प्र० न्यायिक सेवा J.O. Code : UP3377

अन्तिम रिपोर्ट वाद सं. 11/2026
अन्तिम रिपोर्ट संख्या : 137/2024 दिनांक 28.12.2024
मु०अ०सं० : 23/2023
धारा : 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता
थाना : मवाना, जनपद—मेरठ

आदेश
दिनांक : 04.08.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत है। विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या 137/2024 दिनांक 28.12.2024 इस आधार पर प्रेषित की गई है कि विवेचना के दौरान उपलब्ध समस्त स्रोतों से सुरागरसी, पतारसी एवं आवश्यक पूछताछ की गई, तथापि अभियुक्तगण के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य एवं तस्दीक प्राप्त नहीं हो सकी। विवेचक द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि अभियुक्तगण की पतारसी–सुरागरसी बनाए रखते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।
2. अन्तिम रिपोर्ट पर वादी/सूचनाकर्ता मौ० नौशाद जिया को नोटिस निर्गत किया गया, जिसकी व्यक्तिगत तामील पत्रावली पर उपलब्ध है। तथापि नियत तिथि पर न तो वादी उपस्थित हुआ और न ही अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई।
3. पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचना अभिलेख तथा अन्तिम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विवेचक द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक विवेचना की गई है तथा अन्तिम रिपोर्ट अस्वीकार करने हेतु कोई पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही, विवेचक द्वारा अभियुक्तों की पतारसी–सुरागरसी जारी रखे जाने का उल्लेख किया गया है, अतः भविष्य में कोई नवीन तथ्य अथवा साक्ष्य प्रकाश में आने पर विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होगी।
4. अतः **अन्तिम रिपोर्ट संख्या 137/2024 दिनांक 28.12.2024 स्वीकार की जाती है।**
5. पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाए।

दिनांक : 04.08.2026

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, जनपद—मेरठ
J.O. Code : UP3377